



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51294-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 518/2026

मोहम्मद कासिम खान

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम नरेश शुक्ला, राम प्रताप यादव, ऋषभ शुक्ला, सोमेश खरे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आकांक्षा शर्मा

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

1. यह याचिका, जो कथित तौर पर जनहित में है, याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे उत्तर प्रदेशपंचायती राज अधिनियम, 1947 ('अधिनियम') की धारा 95(1)(g) के तहत—जिसे उत्तर प्रदेशपंचायत राज (प्रधानों, उप-प्रधानों और सदस्यों को हटाने संबंधी) जांच नियमावली, 1997 के साथ पढ़ा जाए—ग्राम प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ अपने अधिकार में ले लें। यह मांग 31.03.2025 की जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम जांच शुरू किए जाने के संदर्भ में की गई है, जिसमें प्रधान को दोषी पाया गया था।
2. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रधान को एक अन्य शिकायत में दोषी पाया गया था, जिसमें गबन की गई राशि जमा करने के कारण ही उनकी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ बहाल की गई थीं।
3. न्यायालय के निर्देशों के तहत विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि 17.09.2025 को जब याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर रिपोर्ट के आधार पर अंतिम जांच शुरू की गई थी, तब ग्राम प्रधान की वित्तीय शक्ति एक अन्य जांच में पहले ही निलंबित कर दी गई थी, इसलिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। हालांकि, अब यह बताया गया है कि वित्तीय शक्ति जब्त करने का उक्त आदेश 24.09.2025 को वापस ले लिया गया था, और जिला मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा 95(1)(जी) के तहत वित्तीय शक्ति जब्त करने का आदेश दिनांक 10.03.2026 को पारित किया है।
4. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत का निवारण हो गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. परिणामस्वरूप, याचिका निष्प्रभावी हो गई है। इसलिए, इसे निष्प्रभावी मानकर खारिज किया जाता है।
6. प्रतिवादियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यक तत्परता के साथ अंतिम जाँच को आगे बढ़ाएँ।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

12 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।